



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
भिरानी-3346/2018/धार/भूरु

पुनर्रिकक्षण याचिका प्रार्थीगण की ओर से :-

कुम्हार पंच बदनावर, के पंचगण

(मालवी प्रजापति कुम्भकार समाज बदनावर जिला धार के पंचगण)

1- राजु पिता रणछोड़ जाति कुम्हार

2- बद्रीलाल पिता मुलचंद जाति कुम्हार

3- सोहन पिता चंपालाल जाति कुम्हार

सभी निवासी - बदनावर जिला धार म0प्र0

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. महेश पिता घासीराम पाटीदार

2. बालकृष्ण पिता जगन्नाथ पाटीदार

दोनो निवासी ग्राम मुलथान तह.बदनावर जिला धार

3. भुवान पिता शंकर कुम्हार

4. दुर्गाबाई पति शांतिलाल प्रजापत

दोनो निवासी ग्राम खेड़ा तह. बदनावर जिला धार

5. राधेश्याम पिता कंवराजी प्रजापत

निवासी ग्राम पंचकोटी भोमलवास तह. बडनगर

6. प्रकाश चौधरी पिता सालगराम चौधरी

निवासी पंचकोशी मार्ग ग्राम गोदिया लेकोडा उज्जैन .....विपक्षीगण

रिवीजन :- धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत।

मान्यवर महोदय,

रिवीजन याचिका प्रार्थीगण निम्नानुसार सविनय प्रस्तुत करते हैं कि :-


यह रिवीजन अधिनस्थ विद्वान न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बदनावर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/अ6/2017-18 में आदेश दिनांक 05/05/2018 में दिये गये आदेश के विरुद्ध सविनय अंदर अवधी प्रस्तुत हैं :-

*(Signature)*

श्री. राजेश्वरी शर्मा  
द्वारा आज दि. 31.5.18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तह. भूरु  
दिनांक 14-6-18 तह. भूरु

राजस्व मण्डल, म.प्र.

Dehati  
31/5/18



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग अ

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....निगरानी-3346/2018/धार/भू-रा.....

तहसील: ....बदनावर.....

जिला: ....धार....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का

प्रकरण : .....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण

क्रमांक: .....

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण

क्रमांक : .....

तहसील का प्रकरण क्रमांक: ....5/अ-6/17-18,....

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : .....

वाद का विषय: ....निगरानी....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत

प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है : ....म.प्र.भू.रा.संहिता.....

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---------------------|--|
|------------------|---------------------|--|

आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....धार.... । .....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...05/05/2018... के विरुद्ध ...कुम्हार पंच बदनावर के पंचगण, राजू, बरीलाल, सोहन... ।...महेश, बालकृष्ण, भुवान, दुर्गाबाई, राधेश्याम, प्रकाश चौधरी... ।...धर्मेन्द्र चतुर्वेदी,..... के अभिभाषक द्वारा निगरानी - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...14/06/2018... है। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।

9-7-18

आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित ।  
उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वापिस जाया गया । विचारोपरान्त आवेदक के निवेदन पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।

सक्षम न्यायालय  
में वापिस

अध्यक्ष